इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 मार्च 2014—फाल्गुन 15, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2014

क्र. एफ 22-5-2008-आठ.—राज्य शासन केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-05-2008-आठ, दिनांक 3 अगस्त 2013, 31 अगस्त 2013 को अधिक्रमित करते हुए यान पर निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:—

शासकीय वाहनों के अग्रशीर्ष भाग पर लाल/पीली/नीली बत्ती लगाने के संबंध में.

A. यान के अग्रशीर्ष भाग पर लाल बत्ती लगाने का अधिकार (ड्यूटी पर राज्य के किसी भी भाग में) निम्नलिखित उच्च पदस्थ अधिकारियों को होगा:—

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
4. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशगण
5. नेता प्रतिपक्ष
6. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
7. अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग/लोकायुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयुक्त/अध्यक्ष लोक सेवा आयोग
8. मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक
9. महाधिवक्ता

B. राज्य के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने कर्तव्य पर यान के अग्रशीर्ष भाग पर पीली बत्ती उनके अधिकार क्षेत्र में लगाने की पात्रता होगी:—

1. मुख्य सचिव के समकक्ष अधिकारी
2. समस्त प्रमुख सचिव/विधान सभा के प्रमुख सचिव
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता
4. पुलिस महानिदेशक के समकक्ष अधिकारी
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. नगर निगम के महापौर (अपने क्षेत्र में)/जिला पंचायत के अध्यक्ष (अपने जिले में)
7. संभागीय आयुक्त/अपर संभागीय आयुक्त (अपने क्षेत्र में)
8. कलेक्टर/अपर कलेक्टर (अपने जिले में)
9. पुलिस महानिरीक्षक (अपने जोन में), उप महानिरीक्षक (अपने रेंज में)/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा
10. पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (अपने जिले में)
11. परिवहन आयुक्त/आबकारी आयुक्त/वाणिज्यिक कर आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त/अपर वाणिज्यिक कर आयुक्त/अपर आबकारी आयुक्त
12. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी अपने वन वृत्त में)
13. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अपने जिले में)
14. राज्य शिष्टाचार अधिकारी.

C. यान के अग्रशीर्ष भाग पर कर्तव्य हेतु अपनी ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित को अपने अधिकार क्षेत्र में नीली बत्ती लगाने की पात्रता होगी:—

1. फायर बिग्रेड (फ्लेशरयुक्त)
2. एम्बुलेंस (फ्लेशरयुक्त)
3. गणमान्य व्यक्तियों को जिन्हें लाल बत्ती की पात्रता है को **PILOT** करने वाले अधिकारी वाहन
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक/कार्यपालिक दण्डाधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में)
5. नगर निरीक्षक/थाना प्रभारी (अपने क्षेत्र में)/पीसीआर वैन्स उप परिवहन आयुक्त/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में)
6. वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी/जिला खनन अधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में)/प्रवर्तन कार्य में लगे जिला आबकारी अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला खनन अधिकारी के ऊपर के इन विभागों के अधिकारी.
7. जिला वन अधिकारी (क्षेत्रीय वन्य प्राणी)/उप वनमण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)/वन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में)/वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी).

विशेष:—

1. उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो, यथास्थिति, लाल, नीली या पीली लाईट का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढका जायेगा.
2. पीली एवं नीली बत्ती की अनुज्ञाप्राप्त पदाधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मोटरयान की विन्ड स्क्रीन पर चस्पाकर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.